तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 54/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
08.1.2025	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी हरिश कुमार पुत्र मोहनलाल जी रावल, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म H.G. Foods, F-17/18 सारणेश्वर रिको एरिया, सिरोही, तहसील व जिला– सिरोही के अधिवक्ता श्री मनोज रावल उपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव द्वारा दिनांक 10.10.2023 को फर्म H.G. Foods, F-17/18 सारणेश्वर रिको एरिया, सिरोही में प्रतिवादी हरिश कुमार पुत्र मोहनलाल जी रावल से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ Ghee (शुगुन ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-2225 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर के जांच रिपोर्ट क्रमांक:**L.S./2741/Act/2023/2826** दिनांक 02.11.2023 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री मनोज कुमार रावल उपस्थित हुये एवं प्रतिवादी की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में बहस हेतु नियत सुनवाई तिथि 23.12.2024 को प्रतिवादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। जिन्होनें बहस के दौरान प्रतिवादी के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को खारिज किये जाने का अनुरोध किया। हमनें प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा दिनांक 10.10.2023 को फर्म H.G. Foods, F-17/18 सारणेश्वर रिको एरिया, सिरोही, तहसील व जिला– सिरोही में खाद्य पदार्थो के निरीक्षण के दौरान प्रतिवादी विक्रेता हरीश कुमार पुत्र मोहनलाल जी रावल से फर्म H.G. Foods, F-17/18 सारणेश्वर रिको एरिया, सिरोही, तहसील व जिला– सिरोही के अन्दर आम जन के बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ Ghee (शुगुन ब्राण्ड) के पैक्ड पैकेटों (प्रत्येक एक लीटर) में मिलावट का शक होने पर खाद्य पदार्थ Ghee (शुगुन ब्राण्ड) के 4 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक एक लीटर) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु गवाह श्री श्रवण सिंह, वाहन चालक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष कीमतन क्रय किया एवं उसकी कीमत राशि रुपये 2,100/– (अक्षरे रुपये दो हजार एक सौ मात्र) अदा कर खरीद रसीद बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव द्वारा लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं ......लगातार	

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** **F.S.S.Act Case No. 54/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-2225, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ Ghee (शुगुन ब्राण्ड) आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी विक्रेता हरिश कुमार पुत्र मोहनलाल जी रावल एवं उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने हस्ताक्षर किये। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा Ghee (शुगुन ब्राण्ड) के चारों नमूना पैक्ड पैकेटों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप कोड एवं एवं क्रम संख्या S-2225 उपर से लेकर नीचे तक गोंद से चिपकाई। प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया गया। तत्पश्चात् प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता हरीश कुमार पुत्र मोहनलाल जी रावल व उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये व श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता हरीश कुमार पुत्र मोहनलाल जी रावल व उक्त गवाह श्री श्रवण सिंह, वाहन चालक तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सीलड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 13.10.2023 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री महेश परिहार, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं दिनांक 11.10.2023 को शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म H.G. Foods, F-17/18 सारणेश्वर रिको एरिया, सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता हरीश कुमार पुत्र मोहनलाल जी रावल से खाद्य पदार्थ Ghee (शुगुन ब्राण्ड) के एक–एक लीटर के पैक्ड पैकेटों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय किये गये खाद्य पदार्थ Ghee (शुगुन ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-2225 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकः**L.S./2741/Act/2023/2826** दिनांक 02.11.2023 में अमानक (sub-standard) पाया गया। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी हरीश कुमार पुत्र मोहनलाल जी

.......लगातार

न्यायालय अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज.)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 54/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

रावल, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म H.G. Foods, F-17/18 सारणेश्वर रिको एरिया, सिरोही ने अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ Ghee (घी) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

आदेश

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ Ghee (शुगुन ब्राण्ड) (नमूना संख्या S-2225) के विक्रय हेतु प्रतिवादी हरीश कुमार पुत्र मोहनलाल जी रावल, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराइटर, फर्म H.G. Foods, F-17/18 सारणेश्वर रिको एरिया, सिरोही पर राशि रुपये 30,000/— (अक्षरे रुपये तीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी हरीश कुमार पुत्र मोहनलाल जी रावल को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। पत्रावली इसी मुताबिक फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादीगण को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 12.2.2024 को पेश हो।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)